टेण्डर नोटिस

पुलिस विभाग, जनपद लखीमपुर खीरी में यातायात नियमों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मोबाइल बैरियर क्रय किये जाने हेतु टेण्डर आमंन्त्रित किये जाते है:–

स्पेशीफिकेशन

1– मोबाइल बैरियर लार्ज– 2440(एल) x 1220(एच) x 535 (डव्ल्यू) एमएम

2– मोबाइल बैरियर स्माल–1830(एल) x 915(एच) x 460 (डव्ल्यू) एमएम

3– साइज राउण्ड–अप

4– वेट(वजन)

मुहरबन्द टेण्डर ऐसे लिफाफो में रखकर बन्द हो, यथोपरि के टेण्डर शब्द लिखकर प्रमाणित किये गये हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 13–08–2015 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से दे दिये जाये ।

टेण्डर को छपे फार्म पर लिखा होना आवश्यक है, जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से उसके खुले रहने के किसी दिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य रू0 50/–(पचास रूप्ये) प्रति फार्म के हिसाब से जमा करके प्राप्त किये जा सकते है । टेण्डर फार्म के साथ स्पेशीफिकेशन फर्म द्वारा अंकित किया जाना अनिवार्य है ।

टेण्डर में पूरी रकम साफ–साफ दी जानी चाहिये । टेण्डर में वर्णित कुल रकम की एक प्रतिशत अर्नेस्टमनी नकद संलग्न करना अनिवार्य होगा । उन टेण्डरों पर कोई विचार नही किया जायेगा, जिनके साथ उचित नकद धनराशि अर्नेस्टमनी के रूप में संलग्न नही होगी ।

टेण्डर अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सामने उसी दिनांक 13–08–2015 को ही कार्यालय में खोला जायेगा ।

जिस व्यक्ति का टेण्डर स्वीकार किया जायेगा, उसे 07 दिवस के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा तथा टेण्डर हेतु दी गयी धनराशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी नकद धनराशि ऑकिक के पास जमा करना होगा ।

सरकार न्यूनतम टेण्डर स्वीकार करने के लिए अथवा किसी टेण्डर को स्वीकार करने का कारण बताने के लिए बाध्य नही है ।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य पूर्ण करने का जो समय निर्धारित किया जायेगा, उसी अवधि के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा ।

जिस फर्म का टेण्डर स्वीकृत नही किया जाता है, तो उस दशा में उसके द्वारा टेण्डर के साथ जमा की गई अर्नेस्टमनी की धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी ।

जिस फर्म का टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, उसे सेल्स टैक्स एवं वैट भी जमा करना होगा ।

संख्याः क–144/2015
दिनांकः अगस्त 1, 2015

2/8
(अरविंद सेन)
पुलिस अधीक्षक,
खीरी ।

प्रतिलिपिः
द्वारा फैक्स

1–पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2–पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनियों को सूचनार्थ प्रेषित।

4–अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारी/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जनपद खीरी/प्रतिसार निरीक्षक/समस्त शाखा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु ।

6–जिला सूचना अधिकारी खीरी को इस आशय से कि वह कृपया राजकीय हित में विभिन्न समाचार–पत्रों में संलग्न निविदा का प्रकाशन कराने का कष्ट करें ।

7–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।